Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्री : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सचिन कुमार*

* एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) डी० ए० वी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी समय का समाज रहा हो वह तब ही तक प्रगति करता है जब उसका समावेशी विकास होता है अर्थात जब उस समाज के पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। पुरुष प्रधान समाज में सामान्यत: यह पाया गया है कि उनमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती तथा वे हाशिए पर रहती है। वर्तमान हो या भूतकाल महिलाओं की दशा कमोबेश ऐसी ही रही है। वर्तमान में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां स्त्री और पुरुष दोनों को संविधान समान अधिकार प्रदान करता है परंतु यह अधिकार संविधान और तमाम कानूनी किताबों के पन्नों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। भारतीय समाज में अभी भी यह अधिकार जमीनी स्तर पर पूर्णत: व्यवहार में नहीं आ पा रहे हैं और यह तब है जब हमारा देश संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भारतीय समाज में महिलाओं की दशा का स्तर क्या रहा होगा ? हम अपने इस शोध पत्र में प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक और उत्तर वैदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति का उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर एक चित्र खींचने का प्रयास करेंगे जिससे इतिहास के विद्यार्थियों को तत्कालीन महिलाओं की वास्तविक दशा को समझने में मदद मिलेंगी। यह शोध पत्र दो प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करेगा पहला, शोध वर्तमान में पुरुष व स्त्री को प्राप्त अधिकारों के आधार पर व दूसरा, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते-आते स्त्रियों की स्थिति व अधिकारों में आ चुके बदलावों के आधार पर।

शब्द कुंजी – शिक्षा, समाज, अधिकार, धर्म, वैदिक काल, ऋग्वेद, स्त्री, पुरुष, उत्तर वैदिक काल।

शोध का औचित्य : इस शोध पत्र में शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र को आधार बनाकर स्त्रियों की दशा का विश्लेषण कर उनकी लगभग वास्तविक स्थिति को रेखांकित करने का प्रयास किया जाएगा। वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल की महिलाओं के अमूल्य योगदान को इतिहास में वही स्थान मिले जो स्थान पुरूषों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इतिहास के छात्रों व शोधार्थी को भी इसका अमूल्य लाभ मिल सकें।

शोध विधि : प्रस्तुत शोधपत्र विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विधि पर आधारित है इस शोधपत्र में द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हुए सार्थक निष्कर्ष पर पहुचनें का प्रयास किया गया है।

व्याख्या

शैक्षिक अधिकार – वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते इन अधिकारों में कुछ कमी दिखाई देने लगी। शिक्षा समाज के लिए परम आवश्यक होती है फिर चाहे वह अतीत का समाज रहा हो या वर्तमान का समाज। वैदिक काल पुरुष प्रधान समाज था अर्थात पित्रृसत्तात्मक। यह स्वाभाविक ही है कि अगर समाज पित्रृसत्तात्मक होगा तो उसमें पुरुषों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होगी और अगर समाज मातृसत्तात्मक होगा तो यहीं सुविधाएं महिलाओं को प्राप्त होगी। वैसे तो ऋग्वैदिककालीन समाज पुरुष प्रधान था लेकिन फिर भी इस समय में महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। बालिकाओं का बालकों के समान ही उपनयन संस्कार होता था (चौबे,2020) तथा वे शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भी जा सकती थी। कई विदुषी महिलाओं का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है जैसे-घोषा, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा इत्यादि।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं पर बंदिशें लागू की जाने लगी, उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। (शर्मा, 2021) उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए शिक्षा वर्जित हो गई हालांकि मैत्रयी व गार्गी नामक शिक्षित महिलाओं का उदाहरण मिलता है (विद्यालंकार, 2022) लेकिन यह अपवाद स्वरूप ही है। अब लड़कियां गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी।

धार्मिक स्वतंत्रता– वैदिक कालीन धर्म में यज्ञ व मंत्रोच्चारण की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ में शामिल होने व यज्ञ करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। विश्ववारा प्रात:काल में यज्ञ करने वाली स्त्रियों में आती है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को मंत्रोच्चारण करने का अधिकार भी था परंतु उत्तर वैदिक काल आते -आते स्थिति में परिवर्तन हो चुका था। अब स्त्रियां मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती थी। (शर्मा, 2021) यज्ञ करने व यज्ञ में शामिल होने से संबंधित स्वतंत्रता भी सीमित हो गई थी। यज्ञ करने वाला पुरोहित एक पुरुष हुआ करता था ना कि स्त्री। धर्म को व्यावहारिक रूप में निभाने में स्त्रियां मुख्य भूमिका में थी परंतु धर्म के अनुष्ठानिक कार्य करने व नैतिक नियम बनाने का अधिकार केवल पुरुषों के पास आरक्षित था।

समाज और स्त्री– वैसे तो स्त्री समाज का ही भाग होती हैं लेकिन समाज ने स्त्रियों के साथ पुरुषों के सापेक्ष हीन व्यवहार किया है। जब ऋग्वैदिक काल की चर्चा की जाती है तब हम पाते हैं की समाज में स्त्री व पुरुषों के साथ व्यवहार में कम भेदभाव किया जाता था जैसे स्त्रियों को पुरुषों के समान

पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था (शर्मा, 2021) बाल विवाह का प्रचलन समाज में नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में सती प्रथा को निषेध किया हुआ था, पुत्र व पुत्री दोनों के लिए दीर्घायु की कामना की जाती थी, विवाह के लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार भी स्त्री को प्राप्त था (ओमप्रकाश, 2022) तथा पर्दा प्रथा भी ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते-आते उपर्युक्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं में से लगभग सभी अधिकार स्त्रियों से छीन लिए गए। उदाहरण के तौर पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, अब पुत्री को सभी दुखों का कारण माना जाने लगा और केवल पुत्र प्राप्ति के लिए कामना की जाने लगी। (झा और श्रीमाली, 2018) उत्तर वैदिक काल में बहु पत्नी विवाह का प्रचलन आरम्भ हो गया था जिसने स्त्रियों की दशा को और निकृष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। (ओमप्रकाश, 2022) अब स्त्रियों को मानव न समझकर संपत्ति समझा जाने लगा। तत्कालीन समाज में कन्यादान के प्रमाण मिलते हैं लेकिन कुमार दान के नहीं जो इस तथ्य को और पुष्ट कर देता है कि अब स्त्री को एक वस्तु के तौर पर देखा जाता था क्योंकि दान वस्तु या संपत्ति का ही किया जाता है।

आर्थिक अधिकार – ऋग्वैदिक काल में विवाह के समय स्त्री को दिए जाने वाले धन पर इसका पूर्ण अधिकार होता था व इसे स्त्री धन कहा जाता था। महिलाएं उत्पादन के कार्यों में भी भागीदारी निभाती थी जैसे अपाला अपने पित्रा को कृषि उत्पादन में सहयोग किया करती थी। स्त्रियां कपड़ा बुनना, सिलना, कशीदाकारी, इत्यादि भी करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्री केवल गृहणी नहीं थी वह धन उपार्जन के लिए अन्य कार्य भी करती थी। (ओमप्रकाश, 2022) उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को घर की सीमाओं तक सीमित कर दिया गया अब स्त्री केवल एक ग्रहणी थी जिसका कार्य संतान उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण करना और साथ ही अन्य गृह कार्य करना निश्चित कर दिया गया था। इस काल में स्त्री को संपत्ति का लगभग कोई अधिकार नहीं था। सामान्यत: पित्रा की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार माना जाने लगा। एक आदर्श पत्नी का कार्य अपने सास श्वसुर का आदर करना वह अपने पति की सेवा करना निश्चित कर दिया गया। पर्दा प्रथा व दास प्रथा का प्रचलन भी इस समय में शुरू हो गया था। (विद्यालंकार, 2022) उत्तर वैदिक काल में स्त्री व शूद्रों की समाज में स्थिति कमोबेश एक जैसी हो गई थी।(शर्मा, 2021)

उपसंहार – उपलब्ध प्रमाणों व तथ्यों के आधार पर विचार किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, स्त्रियां युद्ध में भी भाग ले सकती थी। समाज स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा था। पुत्री को सम्मान से दुहिता कहा जाता था परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का सामाजिक स्तर गिरना आरंभ हुआ जो निरंतर गिरता चला गया। स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, अध्ययन अध्यापन पर पुरुषों का लगभग एकाधिकार स्थापित्र हो गया। विराट पुरुष की संकल्पना जो ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से दिखाई गई है जबकि मानव समाज में उत्पन्न करने की प्राकृतिक और जैविक शक्ति प्रकृति ने स्त्री को दी है तो इस संकल्पना में विराट पुरुष के स्थान पर विराट स्त्री होनी चाहिए थी लेकिन चूंकि समाज पुरुष प्रधान था और ऋग्वेद का पहला और दसवां मंडल बाद में जोड़ा गया, जब समाज में स्त्रियों की स्थिति पत्रनावस्था में थी इसलिए उस समय के समाज में एक स्त्री को सभी वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत मानना तत्कालीन पुरुषों ने उचित नहीं जाना शायद इसलिए भी कि इससे पुरुषों की स्थिति और अभिमान को आघात पहुंच सकता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ओमप्रकाश,(2022), प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास,न्यू ऐज इंटरनेशनल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. कोसांबी, धर्मानंद,(2010), भारतीय संस्कृति और अहिंसा,विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकर (अनु,), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. कोसांबी, धर्मानंद,(2019), प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता,गुणाकर मुले (अनु,), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. चौबे, सौरभ,(2020),प्राचीन भारत, युनिवर्सल बुक्स, प्रयागराज।
5. झा, द्विजेन्द्रनारायण और श्रीमाली, कृष्ण मोहन,(2018),प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
6. बाशम, ए,एल,,(1992), अदभुत भारत, वेंकटेशचन्द्रपाण्डेय (अनु,),शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी,आगरा।
7. विद्यालंकार, सत्यकेतु,(2022),प्राचीन भारत, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली।
8. शर्मा, रामशरण,(2023), आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति की भिन्नता, राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली।
9. शर्मा, रामशरण,(1993), प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास,हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
10. शर्मा, रामशरण,(2021), भारत का प्राचीन इतिहास, देवशंकर नवीन और धर्मराज (अनु,),ऑक्सफोर्ड इंडियन पेपरबैक्स, नई दिल्ली।

****